

प्रमाणित : प्रमाणित

प्रमाणित : प्रमाणित

11 07 / 2022

पत्रावली फेरबदली अधिवक्ता उमर पट्ट
 उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना धारा -
 212 के अन्तर्गत निषेधावली का अन्त व प्रार्थनी
 में शामिल दस्तावेजों का अन्वेषण कर गलत
 से भंग किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना - प्रार्थना
 धारा - 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पाया जाता है
 प्रार्थी का प्रार्थना धारा - 212 के अन्तर्गत
 किया जाकर निम्न प्रार्थना का प्रमाण से
 लिखा जाकर नूतन न्यायालय की इजलास
 में सुनाया गया। पत्रावली फेरबदली प्रार्थना
 लेकर नम्बर से कम की जाकर शामिल
 दस्तावेज है।

उपखण्ड अधिकारी
 रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

राजस्थान सरकार
 चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख कार्यालय
 चित्तौड़गढ़, राजस्थान
 323001